डॉ० (प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–11.08.2017 (शुक्रवार) को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 40वीं बैठक की कार्यवाही :–

1.उपस्थिति – बैठक की उपस्थिति साथ में संलग्न है।

2.कार्यसूची की मद संख्या–01 : दिनांक–06.07.2017 एवं 07.07.2017 को आहूत 39वीं बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

3.कार्यसूची की मद संख्या–02 : विगत 39वीं बैठक दिनांक–06.07.2017 एवं 07.07.2017 में लिये गये निर्णयों के आलोक में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा समर्पित कृत अनुपालन प्रतिवेदन की बिन्दुवार समीक्षा की गई, समीक्षोपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्णय लिए गए :–

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–2(3)–JAP-IT झारखण्ड सरकार द्वारा नेतरहाट विद्यालय परिसर में किए जा रहे Computerisation परियोजना से सदस्यों को अवगत कराया गया। बैठक में उपस्थित JAP-IT के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री के० के० सिन्हा ने सदस्यों को अवगत कराया कि उक्त परियोजना के अंतर्गत मुख्यतः चार प्रकार के कार्य किए जाने थे। a) विभिन्न हार्डवेयर की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन। b) विद्यालय परिसर में Wired and Wireless LAN की स्थापना। c) दो अलग–अलग ISPके माध्यम से Lease Line उपलब्ध कराना एवं d) ERP Software का कार्य।

उक्त चार कार्यों में से JAP-IT के C.E.O द्वारा बताया गया कि क्रम (a) एवं (b) का कार्य उनके अनुबंधित एजेंसी M/s Ricoh India Ltd. द्वारा किया जा चुका है क्रम सं० (c) के संदर्भ में बताया गया कि वर्तमान में मात्र एक ही Lease line उपलब्ध कराये गए हैं, दूसरे Lease line के वर्तमान यथा–स्थिति के संदर्भ में निदेशक (मा० शि०) द्वारा पृच्छा किए जाने पर JAP-IT के C.E.O द्वारा बताया गया कि दूसरा Lease line मिलने में संवेदक को तकनीकी कठिनाई हो रही है। इस पर सदस्यों द्वारा इसके वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में अवगत कराने के क्रम में JAP-IT के C.E.O द्वारा बताया गया कि Second Lease line विद्यालय प्रशासन द्वारा ही Reliance Jio के Wi-Fi Router के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है भविष्य में अगर JAP-ITको Lease line की वैकल्पिक व्यवस्था प्राप्त होती है तो विद्यालय को Connectivity उपलब्ध कराया जाएगा। ERP Software के कार्यों के संदर्भ में JAP-IT के C.E.O द्वारा बताया गया कि Software Development के अंतर्गत कुछेक Module का कार्य संपन्न हो चुका है जिसे Go-Live किया जा सकता है, शेष Module के संदर्भ में उन्होंने 30 अगस्त, 2017 तक के समय सीमा मांग की। बैठक में उपस्थित प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि एकरारनामा के अनुसार दो Manpower विद्यालय को उपलब्ध कराया जाना था, जो अबतक विद्यालय में नहीं है। Technical Worker के न रहने से विद्यालय में Hardware के सुलभ प्रयोग में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस पर निदेशक (मा०शि०) द्वारा JAP-IT के C.E.O को निर्देश दिया गया कि वे यथा–शीघ्र दो Technical Worker को विद्यालय में पदस्थापित कराने संबंधी कार्रवाई करें। C.E.O जैप आई टी द्वारा सभी IT उपकरणों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के क्रम में निदेशक (मा०शि०) के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि सभी उपकरण Heavy-Duty के है अतएव, विद्यालय द्वारा किसी संबंधित एजेंसी से संपर्क कर एक वृहत–क्षमता के साइलेंट पावर जेनसेट के क्रय एवं उसके अधिष्ठापन संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को यह निर्देश प्राप्त हुआ कि विभिन्न एजेंसियों से इस संबंध में लगने वाले लागत का आकलन कराते हुए सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति को अपने प्रतिवेदन के साथ समर्पित करेंगे ताकि इस संबंध में यथोचित निर्णय लिया जा सके।

कृ. कु. नाग
25.8.17

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–2(4)– पूर्व अनुपालित।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–2(4) (ख)– विद्यालय में नवनियुक्त कर्मियों के NPS के संबंध में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि वित्त विभाग से इस संबंध में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है; जो संप्रति प्रशासी विभाग के स्तर पर प्रतीक्षित है। इस पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्राचार्य को निर्देश दिया गया कि प्रशासी विभाग से समन्वय स्थापित कर इस संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई करते हुए कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में इसे अवगतार्थ रखा जाय।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–2(6)– पूर्व अनुपालित।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–2(7)– पूर्व अनुपालित।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–2(10)– विद्यालय के नये वेबसाईट के क्रियान्वयन से संबंधित विचार–विमर्श के क्रम में बैठक में उपस्थित एजेंसी M/S COMPUTER-ED, RANCHI के प्रो० श्री राकेश माथुर द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि नये वेबसाईट का निर्माण का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य विद्यालय द्वारा कुछेक वांछित सूचनाओं के उपलब्ध कराये जाने पर ही पूर्ण किया जा सकेगा। इस पर प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि कुछेक महत्वपूर्ण सूचनाएँ जिन्हें मेल द्वारा समझाया जाना संभव नहीं है, को एजेंसी द्वारा विद्यालय में ही आकर प्राप्त किया जा सकता है। इस पर सभापति द्वारा श्री राकेश माथुर को निर्देश दिए गए कि वे अपनी टीम के साथ 20–25 अगस्त जो उचित हो को विद्यालय जाकर विद्यालय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर Data Collect करते हुए विद्यालय वेबसाईट का निर्माण कार्य शीघ्र संपादित करें। श्री राकेश माथुर को यह भी निर्देश दिया गया कि सितंबर–2017 के प्रथम सप्ताह तक नये वेबसाईट को Go-Live करने संबंधी अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र करें।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–2(11)– श्री ओम प्रकाश तियु, शिक्षक नेतरहाट आवासीय विद्यालय की सेवा–संपुष्टि के विचार–विमर्श के क्रम में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री ओम प्रकाश की नियुक्ति वर्ष–2013 में विद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–Net-Appointment-Regular- 03/2013 के संदर्भ में रसायन शास्त्र शिक्षक के रूप में की गई थी। प्रकाशित विज्ञापन की नियुक्ति विषयक अर्हताओं में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख था कि वैसे शिक्षक जो आवेदन भरने के समय B.Ed न हो परंतु नियुक्ति के पश्चात् उन्हें तीन वर्षों के अंदर B.Ed किया जाना अनिवार्य होगा। श्री तियु प्रकाशित विज्ञापन में वर्णित नियमों के आलोक में B.Ed न रहते हुए आवेदन किया था एवं वर्ष–2014 में चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर ही इनकी नियुक्ति की गई। नियुक्ति पश्चात् श्री तियु ने दिनांक–12.11.2014 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अपना योगदान दिया था। स्पष्ट है कि श्री तियु के योगदान के समय उन्हें स्वयं ज्ञात था कि वे B.Ed नहीं है एवं योगदान तिथि से तीन वर्षों के अंदर उन्हें B.Ed करना अनिवार्य है। चूँकि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन सभी आवेदकों के लिए आम प्रस्ताव होता है जिसे कोई भी आवेदक स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर श्री तियु ने विज्ञापन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ही विद्यालय के साथ अपनी सेवा देने का ठहराव किया था। श्री तियु की योगदान तिथि पश्चात् इन्हे विद्यालय स्तर से कई बार B.Ed किये जाने संबंधी मौखिक निर्देश भी दिए गए थे, परंतु श्री तियु इस विषय पर लगातार मौन की स्थिति बनाये हुए थे। लगभग दो वर्षों तक श्री तियु के द्वारा इस विषय पर मौन की स्थिति बनाए रखने के बीच कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की दिनांक–01.12.2016 के बैठक की कार्यवाही मद संख्या –11 में भूलवश श्री तियु की सेवा संपुष्टि करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा नियुक्त कर्मियों के संदर्भ में समिति की नियुक्ति सेवा शर्त तथा अनुशासन नियमावली–2011 की कंडिका 5(b) में प्राचार्य,

ह० कु० नापा
25.8.17

सह–सदस्य सचिव को यह अधिकार है कि कार्यकारिणी समिति के स्वीकृत्योपरांत संबंधित विषयक कार्रवाई करेंगे। नियमावली के अनुरूप प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव ही कर्मियों के नियंत्री एवं नियुक्ति प्राधिकार हैं। अतएव, प्राप्त अधिकारों के अनुसरण में विद्यालय कार्यालय पत्रांक–640, दिनांक–24.03.2017 के माध्यम से श्री तियु को पुनः अवगत कराया गया कि वे B.Ed नहीं है एवं इस संबंध में वे अधोहस्ताक्षरी को अब तक किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दिए है अतएव, आपकी सेवा संपुष्टि स्थगित रखी जायेगी। प्रेषित पत्र के आलोक में श्री तियु ने विद्यालय कार्यालय को अवगत कराया कि वे नियमित B.Ed करना चाहतें है अतएव, उन्हे अनुमति दी जाय। श्री तियु ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया था कि वर्तमान में विभिन्न कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया शुरू है जिसमें वह नामांकन लेना चाहते हैं। श्री तियु के अनुरोध पर उन्हें प्राचार्य द्वारा B.Ed करने की सैद्धांतिक अनुमति भी दी गई थी। अनुमति के बाद भी श्री तियु के स्तर से इस संबंध में कोई कारवाई नहीं की गई है। दिनांक–11.08.2017 की बैठक के दौरान भी प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, द्वारा दूरभाष पर श्री तियु से इस विषयक वार्ता की गई। जिस पर श्री तियु ने प्राचार्य को अवगत कराया कि इस सत्र में नामांकन लेने में मैं विलंब हो चुका हूँ, परंतु यथा–शीघ्र मैं B.Ed में नामांकन करा लूँगा। संपूर्ण बिन्दुओं से यह स्वतः स्पष्ट है कि श्री तियु अपने B.Ed न किए जाने से स्वयं अवगत रहते हुए लगातार निर्देश मिलने के बावजूद भी मौन की स्थिति बनाये हुए हैं एवं प्रशासन को भी भ्रम की स्थिति में रखे हुए है। अतएव, बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का इस पर अभिमत हुआ कि श्री तियु जो विज्ञापन संख्या–03/2013 में सभी अनुदेशों के परिपालन में ही अपना योगदान दिया है परंतु अपने B.Ed न करने के साक्ष्य को लगातार छुपा रहे हैं एवं प्रशासन को भ्रम की स्थिति में रखे हुए हैं। अतः उन्हें B.Ed करने की उनकी नियुक्ति समय सीमा से उन्हें तत्काल अवगत करा दिया जाय।

<u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–2(12)</u>– कला शिक्षक एवं चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में सभापति द्वारा प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को निर्देश दिए गए कि इस विषय पर नई नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करें।

<u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–3</u>– पूर्व अनुपालित।

<u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–4</u>– पूर्व अनुपालित।

<u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–5</u>– नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2017–18 के विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को निर्देश दिए गए कि नामांकन से संबंधित विज्ञापन एवं अन्य प्रक्रियाओं को 2–3 दिनों में यथा–शीघ्र पूर्ण कर लिए जाए।

<u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–6</u>– पूर्व अनुपालित।

<u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–7–</u> पूर्व अनुपालित।

<u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–8</u>– पूर्व अनुपालित।

<u>अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–9</u>– बैठक में उपस्थित विशेष आमंत्रित सदस्य, श्री प्रह्लाद् मेहता, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार को यह निर्देश हुआ कि ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य सितंबर, 2017 के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण कराते हुए विद्यालय प्रशासन को हस्तगत करने संबंधी कारवाई शीघ्र किये जाए। कार्यपालक अभियंता को सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा यह भी निर्देश प्राप्त हुआ कि जिन भवनों/आश्रमों का नव–निर्माण कार्य हो रहा है उन कार्यों का भी पूर्ण अनुश्रवण करें ताकि कार्यों में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाय।कार्यों के संदर्भ में त्रुटि हेतु सम्पूर्ण जवाबदेही उनके स्तर से मानी जाएगी।

ह.[illegible] 25.8.17

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–10– पूर्व अनुपालित।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–11– पूर्व अनुपालित।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–12– पूर्व अनुपालित।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–13– पूर्व अनुपालित।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–14– पूर्व अनुपालित।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–15–क्रम संख्या 2(3) के द्वारा तत्संबंधी समुचित निर्देश मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, JAP-IT को दिए गए।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–16– पूर्व अनुपालित।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–17– समिति द्वारा नवनियुक्त उप–प्राचार्य, श्री अंशुमान चटर्जी को समिति नियमावली के अनुरूप देय 10% अतिरिक्त विशेष वेतन के विचार–विमर्श क्रम में प्राचार्य द्वारा सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति सहित अन्य सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि समिति नियमावली में प्राचार्य एवं उप–प्राचार्य के वेतनमान में काफी अंतर होने के कारण तत्काल 10% अतिरिक्त विशेष वेतन देने का प्रावधान निहित था। परंतु, संप्रति सभी सह–शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त वेतन उन्नयन के फलस्वरूप प्राचार्य एवं उप–प्राचार्य का वेतनमान समान है, इस पर उप–प्राचार्य को अतिरिक्त विशेष वेतन देने पर उनकी कुल मासिक परिलब्धि प्राचार्य की कुल मासिक परिलब्धि से भी अधिक होगी। प्राचार्य द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में भी प्राचार्य का वेतनमान उप–प्राचार्य एवं अन्य शिक्षकों के वेतनमान से भी अधिक रहा है। अतएव, वर्तमान यथा–स्थिति से विभाग को अवगत कराना आवश्यक है। इस पर कार्यकारिणी समिति के सदस्य, श्री एच० के० पी० सिन्हा का यह प्रस्ताव हुआ कि प्राचार्य के वेतनमान में वर्तमान संशोधन हेतु सभापति के स्तर से प्रशासी विभाग को अनुरोध किया जाय।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रम संख्या–18– विगत 39वीं बैठक में कतिपय बिन्दुओं पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया था। निर्देश के आलोक में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा अपना तथ्यात्मक प्रतिवेदन संचिका संख्या–001/प्राचार्य–गोपनीय/ने०वि०स०/17–18 के माध्यम से सभापति के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया;जिसे सभापति द्वारा ~~अंगीकृत किया गया~~। अध्ययन कर उचित निर्णय हेतु विचार किया जायेगा।

ह० कृ० नाग 25.8.17

4.कार्यसूची की मद संख्या–03 :विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों द्वारा अपने कार्य–दायित्वों के अतिरिक्त भिन्न प्रकृति के कार्य–दायित्वों के निष्पादन के फलस्वरूप उनको देय अतिरिक्त क्षतिपूरक भत्ता/मानदेय के विचार–विमर्श क्रम में सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्राचार्य , सह–सदस्य सचिव को यह निर्देश दिया गया कि जिन पदों पर रिक्तियाँ हो जाती है उन पर यथासंभव नियुक्ति किया जाना ही उचित होगा; ताकि किसी भी कर्मी पर अतिरिक्त कार्य प्रभार न पड़े। इस पर प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि लगभग छः माह तक समिति के विघटन के समयावधि तक नियुक्ति न होने के कारण ही कुछेक कार्यालय कर्मियों पर अतिरिक्त कार्य प्रभार पड़ा; अतएव, राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधानानुसार इन कर्मियों को क्षतिपूरक राशि दी जा सकती है। इस पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति सहित अन्य सदस्यों का यह अभिमत हुआ कि वैसे कर्मी जो पूर्व से अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं उन्हें नियमानुसार भत्ता/मानदेय की राशि दे दिया जाय एवं भविष्य में रिक्त बलों पर ससमय नियुक्ति कर ली जाय ताकि इस प्रकार की समस्याएँ न हों।

ह० कृ० नाग 25.8.17

5.कार्यसूची की मद संख्या–05: नेतरहाट विद्यालय सहित समिति कार्यालय में अतिरिक्त बलों के सृजन के विषय में विचार–विमर्श के क्रम में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि पूर्व कार्यकारिणी समिति द्वारा विद्यालय एवं समिति कार्यालय के कुछेक अतिरिक्त बलों के सृजन का प्रस्ताव संचिका के माध्यम से प्रशासी विभाग को समर्पित किया गया था, जो विभागीय स्तर से प्रतीक्षित है।सम्यक विचारोपरांत सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति को अधिकृत किया गया कि प्रशासी विभाग से इस विषयक विचार–विमर्श कर आगामी बैठक में इसे विचारार्थ रखा जाय; ताकि समिति कार्यालय के लिए कुछेक आवश्यक बलों की नियुक्ति की जा सके।

6. कार्यसूची की मद संख्या–06: पूर्व विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री प्रयाग दूबे द्वारा विद्यालय/समिति को लौटायी जाने वाली कुल राशि रू० 8,62,813.00 के संपूर्ण बिन्दुओं पर प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि वसूलनीय राशि रू० 8,62,813.00 में उन्हे भुगतान की गई विशेष वेतन रू० 1,42,830.00 तथा वित्त विभाग के प्रभावी संकल्प से अधिकाधिक भुगतान की गई राशि रू० 7,19,983.00 सम्मिलित है। विशेष वेतन के संबंध में प्राचार्य द्वारा बताया गया कि पूर्व कार्यकारिणी समिति द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त है; परंतु वित्त विभाग के प्रभावी संकल्प संख्या–3828, दिनांक–13.11. 2014 से अधिकाधिक भुगतान श्री प्रयाग दूबे द्वारा विद्यालय को अपना वेतन पर्ची ससमय उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में हुई है एवं प्रथम पत्र जो श्री प्रयाग दूबे को प्रेषित थी उसमें इस आशय का उल्लेख था कि वसूलनीय राशि का स्वयं सत्यापन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करेंगे। संपूर्ण बिन्दुओं के अवलोकनोपरांत सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा श्री प्रयाग दूबे को दूरभाष पर यह निर्देश दिये गये कि वे अपना वेतन पर्ची यथा शीघ्र विद्यालय को समर्पित कर दें एवं प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को यह निदेश हुआ कि श्री दूबे के वेतन पर्ची के आधार पर अपना आत्मभारित टिप्पणी गठित करते हुए एतदर्थ प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि इस बिन्दु यथोचित निर्णय लिया जा सके।

7. कार्यसूची की मद संख्या–07: नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 17–18 के संबंध में सभी सदस्यों का यह अभिमत हुआ कि प्रवेश परीक्षा द्विस्तरीय आहूत की जाय– प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जिला मुख्यालय तथा मुख्य परीक्षा प्रमंडल मुख्यालय स्तर में आहूत किये जाय। प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा नये सत्र के विज्ञापन का प्रारूप सदस्यों के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया। विज्ञापन के प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए इसे स्वीकृत किया गया तथा प्राचार्य को यह निर्देश दिया गया कि 2–3 दिनों में विज्ञापन प्रकाशन का कार्य पूरा कर लिया जाय।

8. कार्यसूची की मद संख्या–08: शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी प्राचार्य द्वारा समर्पित संशोधित प्रस्ताव को आंशिक संशोधन करते हुए स्वीकृति दी गई साथ ही साथ प्राचार्य को इस आशय का भी निदेश हुआ कि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन की कार्रवाई यथा–शीघ्र सम्पादित कराई जाय।

9. कार्यसूची की मद संख्या–09: सत्र 2016–17 में जिन सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किया गया परंतु अधिक आयु होने के कारण उन्हे नामांकन से वंचित किया गया। उन अभ्यर्थियों के संबंध में सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्राचार्य को यह निर्देश दिया गया कि अभ्यर्थियों के जन्म संबंधी प्रमाण–पत्र (आधार कार्ड, नगर–पालिका द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र/प्रज्ञाकेन्द्र, प्रखण्ड कार्यालय से निर्गत प्रमाण–पत्र, राजकीय/निजी अस्पताल द्वारा आयु प्रमाण–पत्र आदि) प्राप्त कर जाँचोपरांत उनका नामांकन शीघ्र ले लिया जाय।

10.कार्यसूची की मद संख्या–11: वर्षावकाश के दौरान दसवीं एवं बारहवीं के छात्रों की विशेष तैयारी के लिए अपनायी जाने वाली गतिविधियों से सदस्यों को अवगत कराया गया। प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को बताया गया वैसे छात्र जो कमजोर श्रेणी के हैं उनपर विशेष ध्यान के

ह० कुमारी
25.8.17

साथ–साथ Perfection लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। छात्रों एवं शिक्षकों के साथ समन्वयता स्थापित करने के बिन्दु पर भी पुरजोर ध्यान दिया जा रहा है। प्राचार्य द्वारा समर्पित संबंधित प्रतिवेदन को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।

11. कार्यसूची की मद संख्या–12: कृषि प्रशिक्षिका, श्रीमती ममता कुमारी के संविदा विस्तार के विचार–विमर्श के क्रम में सदस्यों का यह सम्यक विचार गठित हुआ कि चूँकि नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है अतएव, तत्काल श्रीमती ममता कुमारी की संविदा दो माह की अवधि तक के लिए विस्तार की जा सकती है। समीक्षोपरांत श्रीमती ममता कुमारी की संविदा अवधि दिनांक–09.10.2017 तक के लिए वृद्धि की गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमित नियुक्ति होने के फलस्वरूप श्रीमती ममता कुमारी की संविदा अवधि स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

12.कार्यसूची की मद संख्या–13 : प्रशासी विभाग द्वारा विद्यालय/समिति को प्रेषित 23 सूत्री बिन्दुओं के अद्यतन प्रतिवेदन के लिए सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति को अधिकृत किया गया। सभापति के स्वीकृत्योपरांत/निदेशोपरांत ही इसका अद्यतन प्रतिवेदन प्रशासी विभाग को समर्पित किया जायेगा।

13.कार्यसूची की मद संख्या–14: अन्यान्य–(1) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार स्तर से नेतरहाट विद्यालय में किये जा रहे 08 विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि रू. 1,39,07,120.00 के विचार–विमर्श क्रम में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि वर्ष–2010 में संचालित 08 विभिन्न योजनाऐं जो विशेष प्रमंडल, लातेहार स्तर से संपन्न किये जाने थे से संबंधित कुछेक कार्य विगत 6–7 वर्षों से लंबित थी। तदुपरांत, श्री एन० एन० सिन्हा, भा०प्र०से० के निर्देशोपरांत संप्रति अवरूद्ध योजनाऐं तीव्रगति से संचालित हैं। कार्यपालक अभियंता, विशेष प्रमंडल, लातेहार द्वारा लंबित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल रू० 1,03,89,090.00 की याचना की गई है तथा विभागीय सचिव के निर्देश पर पूर्व संचालित योजनाओं की निधि में से रू० 35,18,030.00 उपायुक्त, लातेहार के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी। अतएव, रू० 1,03,89,090.00 + रू० 35,18,030.00 अर्थात् कुल रू० 1,39,07,120.00 की निधि की आवश्यकता है। पूर्व में भी विभाग द्वारा इस आशय का लिखित निर्देश प्राप्त है कि चूँकि नेतरहाट विद्यालय में पूर्व से ही योजना मद के अंतर्गत विभिन्न भवनों एवं आश्रमों का जीर्णोद्धार कार्य हो रहा है, अतएव नव–निर्माण कार्य के लिए अलग से राशि उपबंध नहीं की जायेगी। नव–निर्माण संबंधी कार्यों के लिए विद्यालय/समिति द्वारा अधियाचित राशि को समय–समय पर योजना मद में ही उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उपस्थित निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) के द्वारा भी यह अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष में योजना मद की उपबंधित राशि विमुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। संपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सभापति द्वारा प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को यह निर्देश प्राप्त हुआ कि उक्त अवशेष राशि नियमानुसार विभाग से बजट के माध्यम से अधियाचना की जाय; तत्पश्चात् इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

अन्य (2) नेतरहाट विद्यालय के नव–निर्मित प्रेक्षागृह में अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा AC के अधिष्ठापन एवं Landscaping की तकनीकी स्वीकृति के संदर्भ में प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निदेशक, (मा० शि०) के कार्यालय पत्रांक–1344, दिनांक–02.08.2017 जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति के लिए यह निर्देश था कि नेतरहाट विद्यालय समिति के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर तद्नुसार व्यय होने वाली राशि को प्रशासी विभाग से अधियाचित की जा सकती है। सभापति द्वारा प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को यह निर्देश दिया गया कि उक्त कार्य की प्रशानिक स्वीकृति इस आशय के साथ दी जाती है कि उक्त राशि प्रशासी विभाग से अधियाचना कर ही अग्रेतर कारवाई करेंगें। प्रशासी विभाग द्वारा एतदर्थ राशि आवंटित होने के फलस्वरूप ही अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।

कृ. कु. नाग
25.8.17

(3) सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् विद्यालय/समिति के जन–सूचना पदाधिकारी के रूप में श्री रौशन कुमार बक्शी, कोषपाल, नेतरहाट आवासीय विद्यालय मई–2016 से जन–सूचना पदाधिकारी का कार्य कर रहे हैं इसकी सम्पुष्टि की गई। श्री बक्शी अगले आदेश तक जन–सूचना पदाधिकारी का कार्य करेंगे।

14. समयाभाव के कारण बैठक में पूर्व संसूचित मद संख्या–04, एवं 10 पर विचार–विमर्श नहीं किया जा सका। तद्नुसार, निम्नलिखित विषयों को कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाय :–

(क) C.B.S.E पाठ्यक्रम के अनुरूप कुछेक विषयों यथा–वाणिज्य, लेखाकर्म एवं व्यवसायिक प्रबंधन यथा यथा मीडिया प्रबंधन का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति के संबंध में।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में लम्बित सभी मामलों के विषय में विचार–विमर्श।

सधन्यवाद, बैठक समाप्त की गई।

कृ. कु. नाग
25.8.17
(कृष्ण कुमार नाग)
सभापति,
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति

नेतरहाट विद्यालय समिति

<u>नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति की, दिनांक–11.08.2017 को आहूत 40वीं बैठक में उपस्थिति :–</u>

<u>उपस्थिति</u> :–

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	हस्ताक्षर
1.	डॉ.(प्रो.) कृष्ण कुमार नाग, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र	सभापति	कृष्ण कुमार नाग 11.08.17
2.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार,रांची।	सदस्य	[signature] 11.8.17
3.	श्री अखिलेश वाजपेयी, उप–सचिव, वित्त विभाग, (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य) झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	—
4.	श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा, (प्रख्यात शिक्षाविद्)	सदस्य	H. G. [signature] 11/8/2017
5.	श्री विनोद कुमार कर्ण,(से.नि. प्राचार्य), नेतरहाट आवासीय विद्यालय।	सदस्य	[signature] 11/8/17
6.	श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय।	सदस्य	—
7.	श्री विन्ध्याचल पाण्डेय प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	[signature]
8.	सी.ई.ओ. जैप.आई.टी.	विशेष आमंत्रित	[signature] 11.8.17
9.	श्री उपेन्द्र उपाध्याय सदस्य, सामान्य निकाय समिति	विशेष आमंत्रित	[signature] 11/8/17
10.	कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, लातेहार	विशेष आमंत्रित	[signature] 11/8/17

11.	सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, सासाराम	विशेष आमंत्रित	[signature] 11/08/17
12.			
13.			
14			
15.			